

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी: बलवन्तसिंह लिग्नी आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं०
174/2014

दायरा दिनांक
21.07.2014

निर्णय दिनांक

उनवान

1. नेतराम पुत्र भूरिया
2. महादेवा पुत्र भूरिया जाति अहीरान निवासीयान ग्राम सानोदा तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

:- वादीगण

बनाम

1. रामलाल
2. लालबहादुर पुत्रान लोंगमल जाति राजपूत निवासी ग्राम मूनपुरठाकरान तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)
3. उप पंजीयक कोटकासिम तह०कोटकासिम जिला अलवर राज०
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी(लैण्ड होल्डर)तहसीलदार, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)।

:- प्रतिवादीगण

5. रोशनलाल पुत्र बेगराज
6. लक्ष्मणसिंहपुत्र बेगराज जाति अहीर साकिन बैरियावास तहसील व जिला रेवाडी (हरियाना)

दावा इश्तकरारहके मय दुरुस्ती इन्द्राज
वो हुक्मइम्तनाइदवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिथत:

1. श्री भगतसिंह चौधरी अधिवक्ता, वादीगण

आदेश

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 359/4-01 बीघा व खसरा नम्बर 360/0-16 बिस्वा में दर्ज पुत्र लोंगमल पुत्र साधूमल का नाम खसरा नम्बर हाल 359/4-01 बीघा के 75/162 भाग व खसरा नम्बर 360/0-16 बिस्वा में 3/4 भाग में से 1/8 भाग यानि 2 बिस्वा रकबा

४४

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

वाके ग्राम मूनपुरठाकरान तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 पर से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा कलमजन किये गये रकबे पर वादीगण महादेवा व नेतराम पुत्रान भूरिया जाति अहीर निवासी ग्राम सानोदा तहसील कोटकासिम जिला अलवर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्डस में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण 1 व 2 को हुक्मइस्तनाईदवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/3/2016 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर न्यायालय से जारी की जाती है। ।



(बलरज सिंह लिखी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी: बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं०

दायरा दिनांक

निर्णय दिनांक

174/2014

21.07.2014

14.3.16

उनवान

1. नेतराम पुत्र भूरिया
2. महादेवा पुत्र भूरिया जाति अहीरान निवासीयान ग्राम सानोदा तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

:- वादीगण

बनाम

1. रामलाल
2. लालबहादुर पुत्रान लोंगमल जाति राजपूत निवासी ग्राम मूनपुरठाकरान तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)
3. उप पंजीयक कोटकासिम तह०कोटकासिम जिला अलवर राज०
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी(लैण्ड होल्डर)तहसीलदार, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)।

:- प्रतिवादीगण

5. रोशनलाल पुत्र बेगराज
6. लक्षमणसिंहपुत्र बेगराज जाति अहीर साकिन बैरियावास तहसील व जिला रेवाडी (हरियाना)

दावा इश्तकाररहक मय दुरुस्ती इन्द्राज
वो हुक्मइम्तनाइदवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


उपस्थित:

1. श्री भगतसिंह चौधरी अधिवक्ता, वादीगण

निर्णय


वादीगण द्वारा एक वाद इश्तकाररहक मय दुरुस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में पेश किया। वाद में वादीगण की ओर से तथ्य इस प्रकार वर्णन किये हैं कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बरान 274/0.07, 275/0.05, 299/1.07, 300/0.06, 301/0.04, 318/0.05, 319/0.05, 321/0.07, 322/0.07, 320/0.04 बीघा है जिनके हाल खसरा नम्बर 359/4.01, 360/0.16 बीघा पैमूद किये गये हैं। जो कि उक्त आराजीयात वाके ग्राम मूनपुर ठाकरान तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०) विवादित आराजीयात मिन वादीगण की जरिये बयनामा दिनांक 21.09.1970 किता एक व 22.12.1970 किता 3 के खरीदशुदा आराजीयात है। वक्त खरीद से ही काबिज व दखिल होकर वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। मौके पर मिन वादीगण का विवादित

1


उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

आराजी खसरा नम्बर 359 के 75/162 पर व विवादित आराजी खसरा नम्बर 360 के 3/4 भाग पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी सम्पूर्ण मिन वादीगणों ने जरिये बयनामैजात खरीद की और वक्त खरीद से ही विवादित आराजी सम्पूर्ण पर मिन वादीगण काबिज काश्त रहे। राजस्व रिकार्डस में बयनामैजात के आधार पर सम्पूर्ण विवादित आराजीयात का इंतकाल मिन वादीगण के नाम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारीगणों ने दर्ज नहीं किया और विवादित आराजी खसरा नम्बर 359/4-01 बीघा में मिन वादीगण के नाम का अंकन जरिये बयनामैजात के आधार पर सम्पूर्ण रकबे का होना था परन्तु सम्पूर्ण रकबे का इंतकाल दर्ज ना कर 87/162 भाग का ही इंतकाल दर्ज किया शेष बचे रकबे 75/162 भाग प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पिता लोंगमल पु.त्र साधूमल ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से साज बाज होकर जमाबन्दी सम्मत 2029 पैमूद करते वक्त दर्ज खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज करा लिया। जिसकी पुनरावृति ता हाल राजस्व रिकार्डस में होती चली आ रही है। इसी कदर विवादित आराजी खसरा नम्बर 360/0-16 बीघा मिन वादीगण की जरिये बयनामा सकबि नम्बरानों से खरीदशुदा है। सम्पूर्ण रकबे का इंतकाल राजस्व अधिकारियों व कर्मचारीगणों ने जरिये बयनामा के मिन वादीगणों के नाम दर्ज नहीं किया सिर्फ 4/16 भाग का इंतकाल दर्ज किया और शेष बचे रकबे 12/16 भाग यानि 3/4 प्रतिवादीगण सं 1 व 2 के पिता लोंगमल ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से साज बाल हाकर जमाबन्दी सम्मत 2029 पैमूद करते वक्त दर्ज खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज करा लिया क्योंकि प्रतिवादी सं 1 व 2 का पिता एक चालाक व्यक्ति था। जिसकी पुनरावृति ता हाल राजस्व रिकार्डस में होती चली आ रही है। विवादित आराजीयात सम्पूर्ण पर मिन वादीगण ही वक्त खरीद से काबिज रहे वादीगण द्वारा खरीद के बाद से लोंगमल का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा और ना ही प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 विवादित आराजीयात पर कभी भी काबिज काश्त रहे वो गैरवास्ता गैरकाबिज विवादित आराजीयात है। मिन वादीगण किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी के पास नकल जमाबन्दी दिनांक 10.07.2014 को लेने गये तो हल्का पटवारी ने बताया कि विवादित आराजीयात में तुम्हारे नाम का अंकन नहीं है। लोंगमल के नाम का अंकन हो रहा है। जिस पर मिन वादीगणों ने समस्त राजस्व कागजात की नकलात दिनांक 16.07.2014 तक हासिल कर प्रतिवादीगणों से उक्त गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराने बाबत कहा तों वो साफ इंकार हो गये और प्रतिवादीगणों ने मिन वादीगण को ऐलानिया तौर पर धमकियां दी कि हम अपने पिताजी लोंगमल की विरासत का इंतकाल उनके नाम विवादित आराजी राजस्व रिकार्डस में अंकन होने का फायदा उठातें हुये अपने नाम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारीगणों से साज बाज होकर कराकर दीगर लोंगों को बेचान करेगे। इसलिये मिन वादीगण विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्मत 2029 से ता हाल राजस्व रिकार्डस तक में प्रतिवादीगण सं 1 व 2 के पिता का नाम व उनके नाम विवादित आराजी खसरा नम्बर 359 में हो रहे गलत इन्द्राज 75/162 भाग को कलमजन कराकर व विवादित आराजी खसरा नम्बर 360 से लोंगमल का नाम व उसके नाम हो रहे गलत इन्द्राज 3/4 भाग को कलमजन कराकर अपने आपको बयनामा कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। जिसके लिये मिन वादीगण को यह दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है। यदि प्रतिवादीगण अपने इरादों में कामयाब गलत इन्द्राज की आड में हो गये तो मिन वादीगण को अपनी अधिकारों की आराजी से वंचित होना पडेगा। इसलिये मिन वादीगण को दीगर मुकदमाबाजी में फंसना पडेगा। अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रुपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिये मिन वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। मिन वादीगण के दावा हाजा में हक हकूक कानूनन रक्षित है। इसलिये मिन वादीगण को अपन हकूकों की रक्षार्थ यह वाद पत्र पेश करना लाजिम आया है। मिन वादीगण के नाम विवादित आराजी खसरा नम्बर 359 में 87/162 भाग का इंतकाल दर्ज हुआ उसको जरिये बयनामा बेचान व मिन वादीगण के नाम विवादित आराजी खसरा नम्बर 360 में 12/16 भाग यानि 3/4 भाग का इंतकाल दर्ज हुआ उसको जरिये बयनामा बेचान मिन वादीगणों ने लक्ष्मी, सरला, निर्मला, बीरमति ग्राम नरवास को कर दिया

2


एव खण्ड अधिकारी
नोटकाबिज (खसरा)


और लक्ष्मी पत्नी पवनकुमार, सरला पत्नी सुरेन्द्रकुमार, निर्मला पत्नी विरेन्द्रसिंह, बीरमति पत्नी विनोद जाति अहीरान ग्राम नरवास ने फोरमल पक्षकारान सं 5 रोशनलाल पुत्री बेगराज व फोरमल पक्षकार सं. 6 लक्ष्मनसिंह पुत्र बेगराज को जरिये बयनामा बेचान कर दिया है विवादित आराजीयात के सहखातेदार काश्तकार होने के नाते उन्हें फोरमल पक्षकार की जद में पक्षकार मुकदमा बनाया है। परन्तु मिन वादीगण के द्वारा इनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहिये। सिर्फ सहखातेदार काश्तकार होने के नाते फोरमल पक्षकार की जद में पक्षकार मुकदमा बनाया है। वादपत्र हेतु बिनायदवामी व बिनायमुखासमत दिनांक 10.07.2014 व 16.07.2014 को पैदा हुई जिससे वादपत्र अन्दर अवधि पेश है। इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज के वाद में कानूनन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। प्रतिवादीगण गलत इन्द्राज की आड में अपने नाम विरासत का इंतकाल दर्ज कराकर वादीगण की खरीदशुदा आराजी को दीगर लोगो के बेचान करना चाहते है जिससे कि मामला आवश्यक प्रकृति का हो जाने की वजह से प्रतिवादी सं. 3 व 4 को 80 जा0 दी0 का नोटिस दिया जाना संभव नहीं हो सका है। इसलिये उन्हे रफाए उजात 80(2) जा0दी0 का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया है। अतः डिक्री इजराय इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज पारित की जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 359/4-01 बीघा वाके ग्राम मूनपुर ठाकरान की राजस्व जबाबन्दी सम्वत 2029 से लेकर ता हाल राजस्व रिकार्ड तक में से प्रतिवादीगण सं 1 व 2 के पिता लोंगमल पुत्र साधुमल जाति राजपूत ग्राम मूनपुर ठाकरान का नाम 75/162 भाग से हजफ किया जाकर वादीगण को कब्जा मुखालफाना व पंजिबद्ध बयनामा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी कदर आराजी हाल खसरा नम्बर 360/0-16 बीघा वाके ग्राम मूनपुर ठाकरान तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) की जमाबन्दी सम्वत 2029 से लेकर ता हाल राजस्व रिकार्डस तक में से प्रतिवादीगण सं 1 व 2 के पिता लोंगमल पुत्र साधुमल जाति राजपूत ग्राम मूनपुर ठाकरान का नाम 3/4 भाग से हजफ किया जाकर वादीगण को कब्जा मुखालफाना पंजिबद्ध बयनामा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्डस में अमल दरामद किया जावे। डिक्री इजराय हुक्मइम्तनाइदवामी पारित की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाइदवामी से पाबन्द फनमाया जावे कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 359/4-01 बीघा के 75/162 भाग व विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 360/0-16 बीघा के 3/4 भाग का इंतकाल गलत इन्द्राज की आड में विरासत का अपने नाम दर्ज व मंजूर नहीं कराये ना ही विवादित आराजी को कही दीगर जगह रहन बय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुत्तकिल करें, ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में मजामहत व मदाखलत पैदा करे, ना जब्रन बेदखल करे, ना कब्जा करे, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखे, ना ही अप्रार्थी सं0 3 विवादित आराजी खसरा नम्बर 359/के 75/162 भाग का व विवादित आराजी खसरा नम्बर 360/0-16 बीघा के 3/4 भाग व दस्तावेजात किसी भी प्रकार का पंजिबद्ध व तस्दीक नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रतिवादीगण 1, 2, 3, की तामील होने पर भी उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में कोई राज्य हित नहीं होना पेश किया गया। फोरमल पक्षकार सं. 5 व 6 की ओर से जवाब इकबाल पेश किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजात प्रदर्श-1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071, प्रदर्श नकल जमाबन्दी सम्वत 2029, प्रदर्श-3 नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063, प्रदर्श-4 नकल मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श-5 नकल बयनामा दिनांक 21.09.1970, प्रदर्श-6 नकल बयनामा दिनांक 22.12.1970, प्रदर्श-7 नकल बयनामा दिनांक 22.12.1970, प्रदर्श-8 नकल बयनामा


उप बाण्ड अधिकारी
 कोटकासिम (अलवर)

दिनांक 22.12.1970 पेश किये तथा साक्ष्यवादी पीडब्ल्यू डी-1 नेतराम, पीडब्ल्यू डी-2 महादेवा, पीडब्ल्यू डी-3 विशम्बर, पीडब्ल्यू डी-4 निहालसिंह के शपथपत्र पेश किये।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई।


वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजीयात सम्पूर्ण मिन वादीगणों की जरिये बयनामा दिनांक 21.09.1970 किता 1 व दिनांक 22.12.1970 किता 3 के खरीदशुदा आराजीयात है। वक्त खरीद से ही काबिज व दखिल होकर वादीगण काशत करते चले आ रहे हैं। मौके पर मिन वादीगणों का विवादित आराजी खसरा नम्बर 359 के 75/162 भाग पर व विवादित आराजी खसरा नम्बर 360 के 3/4 भाग पर काबिज व दखिल होकर काशत करते चले आ रहे हैं। राजस्व रिकार्डस में बयनामा के अनुसार सम्पूर्ण विवादित आराजी खसरा नम्बर 359/4-01 बीघा में मिन वादीगण के नाम का अंकन सम्पूर्ण रकबे का होना था परन्तु सम्पूर्ण रकबे का इंतकाल दर्ज ना करके 87/162 भाग का ही इंतकाल दर्ज किया शेष बचे रकबे 75/162 भाग वादीगण के नाम नहीं किया। इसी कदर विवादित आराजी खसरा नम्बर 360/0-16 बीघा मिन वादीगण सम्पूर्ण रकबे का इंतकाल मिन वादीगणों के नाम दर्ज नहीं किया सिर्फ 4/16 भाग का इंतकाल दर्ज किया शेष बचे 3/4 भाग व खसरा नम्बर 359 का 75/162 भाग प्रतिवादीगण सं 1 व 2 के पिता लोंगमल ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से साज बाज होकर जमाबन्दी सम्बत 2029 पैमूद करते वक्त दर्ज खिलाफ मौका व खिलाफ कानून अपने नाम दर्ज करा लिया जिसकी पुनरावृत्ति ता हाल राजस्व रिकार्डस में होती चली आ रही है। प्रतिवादीगण सं 0 1 व 2 विवादित आराजीयात पर कभी भी काबिज काशत नहीं रहे वो गैरवास्ता गैरकाबिज विवादित आराजीयात है। इसलिये मिन वादीगण विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2029 से ता हाल राजस्व रिकार्डस तक में प्रतिवादीगण सं 1 व 2 के पिता का नाम व उनके नाम हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन कराकर अपने आपको बयनामा कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार काशतकार घोषित करवाने के अधिकारी है। मिन वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। मिन वादीगण के दावा हाजा में हक हकूक कानूनन रक्षित है। इसलिये मिन वादीगण को अपन हकूकों की रक्षार्थ यह वाद पत्र पेश किया है। अतः वादीगण का दावा डिक्री किया जावे।

मेरे द्वारा वादीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बयनामों के अनुसार बयनामों में दर्ज खसरा नम्बर साबिक को कय किया गया। जिसके अनुसार वादीगण द्वारा साबिक खसरा नम्बरान से बने हाल खसरा नं 0 359/4-01 का 87/162 भाग का अमल राजस्व रिकार्ड में किया गया है शेष 75/162 भाग का अमल भी राजस्व रिकार्ड में किया जाना चाहिये था। इसी प्रकार खसरा नम्बर 360/0-16 में 3/4 भाग का अमल किया। मुताबिक साबिक रिकार्ड के वादीगण का हाल रिकार्ड के अनुसार 1/8 यानि 2 बिस्वा रकबे का अमल भी किया जाना चाहिये था जो तत्समय राजस्व अधिकारियों ने नहीं किया। जिसकी दुरुस्ती कराने के वादीगण अधिकारी है। वादीगण के हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई मजाहमत व मदाखलत की गई तो वादीगण के कानूनी हकों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिये प्रतिवादीगण को जयें हुक्मईम्तनाईदवामी से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत है।

आदेश

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 359/4-01 बीघा व खसरा नम्बर 360/0-16 बिस्वा में दर्ज साधूमल पुत्र लोंगमल का

4


रज खण्ड अधिकारी
कोर्टकारि (बनबुर)

आदेश

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 359/4-01 बीघा व खसरा नम्बर 360/0-16 बिस्वा में दर्ज लोंगमल पुत्र साधूमल का नाम खसरा नम्बर हाल 359/4-01 बीघा के 75/162 भाग व खसरा नम्बर 360/0-16 बिस्वा में 3/4 भाग में से 1/8 भाग यानि 2 बिस्वा रकबा वाके ग्राम मूनपुरठाकरान तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 पर से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा कलमजन किये गये रकबे पर वादीगण महादेवा व नेतराम पुत्रान भूरिया जाति अहीर निवासी ग्राम सानोदा तहसील कोटकासिम जिला अलवर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्डस में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण 1 व 2 को हुक्मइम्तनाईदवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मज्जाहमत व मदाखलत नहीं करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.3.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बलवन्त सिंह लिप्री)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0